भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/पीएन/5/2015 दिनांक : 12 जनवरी, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय : जम्मू-कश्मीर राज्य से राज्य सभा के द्‌विवार्षिक निर्वाचन ।

जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के 4 सदस्यों की पदावधि 10 तथा 15 फरवरी, 2015 को समाप्त हो रही है। इसका ब्योरा निम्नलिखित अनुसार है:-

क्रम सं.	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	प्रो सैफ-उद्‌-दीन सोज़	10.02 .2015
2.	श्री गुलाम नबी आज़ाद	10.02.2015
3.	श्री गुलाम नबी वानी	15.02.2015
4.	श्री मोहम्मद शफी	15.02.2015

जम्मू-कश्मीर राज्य में इस समय राज्यपाल शासन है। विद्‌यमान विधान सभा की अवधि, यदि पहले विघटित नहीं हो जाती, 19 जनवरी, 2015 है। 20 जनवरी, 2015 से नई गठित विधान सभा अस्तित्व में आ जाएगी। नए विधान सभा सदस्य राज्यपाल शासन समाप्त होने/प्रतिसंहरण होने तक सदस्य के रूप में तत्काल शपथ नहीं ले सकेंगे। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार निर्वाचित हो जाने के पश्चात विधान सभा सदस्य राज्य सभा के सदस्य चुनने के लिए वोट कर सकते हैं चाहे उन्होंने विधान सभा में बैठने के लिए ऐसे सदस्य के रूप में औपचारिक शपथ भी न ली हो।

राज्य सभा के ऐसे सदस्यों के संबंध में जिनका चुनाव जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्‌वारा किया जाना है, सभी चारों सीटें सदस्यों की द्‌विवार्षिक सेवानिवृति के आधार पर भरी जानी हैं। पिछली बार, ये चारों रिक्तियां,

इस विषय पर विधि अनुसार तीन अलग-अलग निर्वाचनों का आयोजन करवाकर भरी गई थीं अर्थात् प्रोफेसर सैफ-उद्-दीन सोज़ की सीट के लिए एक द्विवार्षिक निर्वाचन, श्री गुलाम नबी आज़ाद की सीट के लिए दूसरा द्विवार्षिक निर्वाचन तथा श्री गुलाम नबी वानी और श्री मोहम्मद शफी की सीटों के लिए तीसरा द्विवार्षिक निर्वाचन। परिणामस्वरूप, अब निर्वाचित किए जाने वाले चारों सदस्य छः वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करेंगे। जैसा कि पिछली बार किया गया था इस बार भी इन चारों सीटों को भरने के लिए तीन अलग-अलग द्विवार्षिक निर्वाचन करवाए जाएंगे।

आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार इस प्रकार रिक्त हुई उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य से राज्य सभा हेतु द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1.	अधिसूचना जारी करना	21 जनवरी, 2015 (बुधवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	28 जनवरी, 2015 (बुधवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	29 जनवरी, 2015 (गुरूवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	31 जनवरी, 2015 (शनिवार)
5.	मतदान की तारीख	07 फरवरी, 2015 (शनिवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वा. 9:00 बजे से अप. 4:00 बजे तक
7.	मतों की गणना	07 फरवरी, 2015 (शनिवार) अप. 5:00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	09 फरवरी, 2015 (सोमवार)

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक